

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक: सेमे0परीक्षा (दिसम्बर-2021)/5833
दिनांक: 24.02.2022

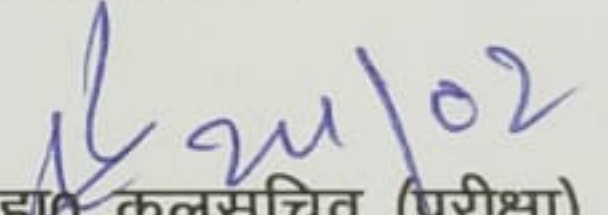
विश्वविद्यालय की दिनांक 17.02.2022 से आयोजित होने वाली व्यावसायिक एवं पारम्परिक पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर (दिसम्बर-2021) परीक्षा (सत्र 2021-22) हेतु निम्नलिखित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के नकल विहिन, निर्विघ्न एवं सफल संचालन हेतु निम्नानुसार वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (Sr. Supdt.) नियुक्त किया जाता है।

सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या सन्दर्भित वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षकों को हर सम्भव सहयोग प्रदान करेंगे। सन्दर्भित वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रत्येक परीक्षा दिवस के उपरान्त परीक्षा के सम्बन्ध में अपनी आख्या ईमेल : dyregistrarexam@ccsuniversity.ac.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

निम्नलिखित परीक्षा केन्द्र पर पूर्व में नामित वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (Sr. Supdt.) द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण उनके स्थान पर निम्नानुसार वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (Sr. Supdt.) नियुक्त किया जाता है :-

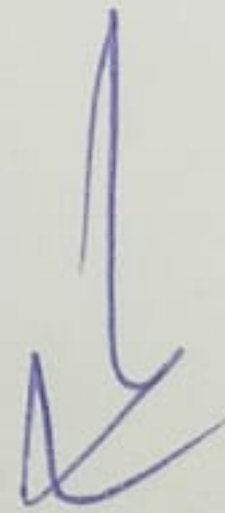
Sl. No.	Name of Exam Centers	C. Code	Name of Old Sr. Supdt.	Name of New Sr. Supdt.
1.	Bhaila Degree College, Bhaila, Saharanpur	83	Dr. K.P. Singh (Chem.) D.A.V. College, Muzaffarnagar. Ph.: 7088912448	Dr. D.R. Panwar (Retd.) M.S. College, Saharanpur. Ph.: 9319506557

नोट :- उपरोक्त वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (Sr. Supdt.) से अनुरोध है कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर अपना टी0ए0/डी0ए0 बिल परीक्षा विभाग में प्रस्तुत करते समय गोपनीय आख्या तथा परीक्षा केन्द्र द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।


सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्राचार्य/प्राचार्या/वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक, सम्बन्धित महाविद्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षकों (Sr. Supdt.) को व्यावसायिक एवं पारम्परिक पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर (दिसम्बर-2021) परीक्षा की समाप्ति तक तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
2. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ।
5. उपकुलसचिव (गोपनीय/लेखा)।
6. समन्वयक सी0सी0टी0वी0 कन्ट्रोल रूम को सूचनार्थ।
7. विश्वविद्यालय अधिकृत ऐजेन्सी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।



सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)